न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1654-दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-5-2005 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 151/2004-05 निगरानी

मातादीन पुत्र भगवान सिंह गुर्जर
ग्राम हरगवॉ तहसील मुरैना
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- महिला फूला पत्नि रघुनाथसिंह
2- श्रीमती लेखा पत्नि राजेन्द्रसिंह
ग्राम गुलिया तहसील मेहगॉव,भिण्ड
3- श्रीमती भल्ला पत्नि वेतालसिंह गूजर
ग्राम जखोदा तहसील मुरैना
4- श्रीमती कण्डो पत्नि कुन्ना गूजर
ग्राम जखौदा तहसील मुरैना
5- श्रीमती माया पत्नि सियाराम
ग्राम जखोदा तहसील मुरैना
6- कल्याण 7- महेन्द्र पुत्रगण करनसिंह
ग्राम हरिगवॉ तहसील मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 5-11-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 151/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-5-2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बसैया के खाता क्रमांक 21 पर अंकित कुल 3 कुल रकबा 1.66 हैक्टर के भूमिस्वामी करन सिंह पुत्र द्वारका थे जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 19 पर आदेश दिनांक 20.5.98 से सरपंच ग्राम पंचायत बसैया व्दारा अनावेदक कमांक 6 व 7 का नामान्तरण प्रमाणित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 136/02-03 होने पर आदेश दिनांक 2-11-2004 से आदेश दिनांक 20.5.98 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 26/04-05 में पारित आदेश दिनांक 18-2-05 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 15/04-05 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 25-8-05 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह पाई गई कि ग्राम बसैया के खाता क्रमांक 21 पर अंकित कुल 3 कुल रकबा 1.66 हैक्टर के भूमिस्वामी करन सिंह पुत्र द्वारका की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 19 पर सरपंच ग्राम पंचायत बसैया व्दारा आदेश दिनांक 20.5.98 से अनावेदक कमांक 6 व 7 का नामान्तरण किया गया है, क्योंकि नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 19 पर केवल अनावेदक क्र-6 व 7 को

मृतक खातेदार करनसिंह का वारिस बताया गया है, जबकि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 मृतक खातेदार करन सिंह की जीवित पुत्रियां हैं जिन्हें नामान्तरण के समय न तो व्यक्तिगत सूचना दी गई है और न ही नामान्तरण प्रकरण में उन्हें पक्षकार बनाया गया है । नामान्तरण पंजी में दर्शित सजरा में उनका नाम भी नहीं दर्शाया है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने आदेश दिनांक 2-11- 04 से सरपंच ग्राम पंचायत बसैया व्दारा आदेश दिनांक 20.5.98 किये गये नामान्तरण को निरस्त कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कि लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गई है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 26/04-05 में पारित आदेश दिनांक 18-2-05 में तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 15/04-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-8-05 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन में हस्तक्षेप किये जाने की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/04-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-8-05 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर